संख्या—1012/9—आ—4—99—75 एन/97

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण,
   लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग—4 लखनऊ : दिनाँक 11 नवम्बर, 1999

विषय :नजूल भूमि के फ्री—होल्ड के संदर्भ में शर्तों के उल्लंघन के आधार पर पूर्व में जारी किये गये अतिरिक्त डिमाण्ड नोटिस के सम्बन्ध में ....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—509/9—आ—4—99—704 एन/टी0सी0 दिनाँक 2 फरवरी, 1999 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि के फ्री—होल्ड के ऐसे प्रकरण जिनमें पूर्व नीति के तहत सामान्य दर पर फ्री—होल्ड हेतु डिमाण्ड नोटिस निर्गत की गयी और इसके सापेक्ष सम्बन्धित पक्ष द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी तत्पश्चात् पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर पुनः अतिरिक्त डिमाण्ड नोटिस चाहे वह शासनादेश दिनाँक—1—12—1998 के पहले निर्गत की गयी हो अथवा बाद में और उसके सापेक्ष कोई धनराशि जमा नहीं की गयी हो तो ऐसे प्रकरणों में पूर्व जमा धनराशि पर ही फ्री—होल्ड की कार्यवाही की जाय तथा पुनः निम्न अतिरिक्त डिमाण्ड नोटिस को निरस्त किया जाय।

शासनादेश संख्या—509/9—आ—4—99—704 एन/टी0सी0।

दिनाँक—2 फरवरी, 1999 एतद्द्वारा इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।